जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.187)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी– 834 दिनांक: 16/7/14

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 187वीं बैठक दिनांक 11.07.2014 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	187:1	कार्यकारी समिति की 186वीं बैठक दिनांक 23.06.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 186वीं बैठक दिनांक 23.06.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।	
2.	187:2	कार्यकारी समिति की 186वीं बैठक दिनांक 23.06.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 186वीं बैठक दिनांक 23.06.2014 में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट की समीक्षा कर यह निर्देश प्रदान किए गए कि कार्यकारी समिति की 186वी बैठक के जिन निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट अप्राप्त है उन्हे दिनांक 31.07.2014 तक प्राप्त किया जाए।	
3.	187:3	भूखण्ड संख्या 193 योजना ऋषि गालव नगर के नियमितिकरण के संबंध में।	ऋषि गालव नगर योजना में भूखण्ड संख्या 193 का आवंटन श्री बिन्दु पुत्र श्री इब्राहीम को दिनांक 07.09.82 को किया गया था। उक्त भूखण्ड का श्री सिराजुद्दीन पुत्र श्री हाजी मोहम्मद इस्माइल के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया। भूखण्ड की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करायी गयी है। विचार विमर्श पश्चात प्रकरण नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु प्रकरण को भिजवाते समय वर्तमान आरक्षित दर तथा भू-निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ति की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	उपायुक्त जोन-10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
4.	187:4	भूखण्ड संख्या ए-271, सी-510 एवं बी-101 आवासीय योजना अनुपम विहार के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि अनुपम विहार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-271, सी-510 एवं बी-101 की नजराना राशि निर्धारित समय से विलम्ब से जमा कराया गया है। यह राशि 2 वर्ष समाप्त होने से पहले जमा करवाई गई है जिसे नियमित करने के लिए कार्यकारी समिति सक्षम है। अतः नियमितिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 17(5)(II) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावें।	उपायुक्त जोन-11
5.	187:5	Construction of B.T. road in Pashupatinath Nagar, Mousam Vibhag Road in Sanganer in Zone-9, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात जोन-9 क्षेत्र में पशुपति नाथ नगर, मौसम विभाग रोड, सांगानेर में बी.टी. रोड का निर्माण कार्य की निविदा मैसर्स मथुरिया कन्स. कम्पनी के पक्ष में बी.एस.आर. 2012 पर निविदा 20 प्रतिशत अधिक दर पर कुल राशि रूपये 86,38,792.00 की स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया तथा टेण्डर अवधि के 120 दिवस 11.07.2014 को समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 11.07.2014 को ही कार्यादेश जारी करने का निर्देश प्रदान किया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
6.	187:6	"Construction of Neurosurgery ward on IInd floor of Neurosurgery Building in SMS Hospital Jaipur" की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात SMS अस्पताल, जयपुर में द्वितीय तल पर Neurosurgery ward निर्माण पर वास्तविक लागत रूपये 2,90,03,943.00 की कार्योत्तर स्वीकति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
7.	187:7	Post facto Approval of Special Condition of tender document for 200' Wide Mahal road and 160' Wide HT line road, Zone-9, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात 200 फीट चौडी, महल रोड एवं 160 फीट चौडी हाई टेंशन सडक के निविदा प्रपत्र में संलग्न विशेष शर्तो के क्र.स. 9 व 10 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
8.	187:8	भूखण्ड संख्या 1225, रोहिणी नगर तृतीय के नियमितिकरण बाबत्।	भूखण्ड संख्या 1225, रोहिणी नगर तृतीय के भूखण्ड की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करायी गयी है। विचार विमर्श पश्चात प्रकरण नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को नियमन हेतु प्रकरण को भिजवाते समय वर्तमान आरक्षित दर तथा भू-निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ति की जानकारी भी प्रेषित की जावें।	उपायुक्त जोन-14
9.	187:9	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-457 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एच-457 के नजराना राशि की तृतीय किश्त जमा नही करायी गयी तथा आवंटी द्वारा ब्याज व पैनल्टी की राशि जमा की सहमति दी गयी है। विचार विमर्श पश्चात राज्य सरकार द्वारा कल्पना नगर में आवंटीत भूखण्डो के नियमितिकरण के सम्बन्ध में जारी आज्ञा क्रमांक प. 3(700) नविवि/03/2013 दिनांक 30.04.2013 के क्रम में उक्त भूखण्ड की बकाया नजराना राशि तथा विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज एवं शास्ति जमा कराने की शर्त पर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13ए
10.	187:10	जविप्रा जोन-10 क्षेत्र में आगरा रोड पर स्थित गोपाल नगर स्कीम में सडक निर्माण कार्य की निविदा की कार्यकारी समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात आगरा रोड पर स्थित गोपाल नगर स्कीम में सडक निर्माण कार्य की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
11.	187:11	Reconstruction of Damaged C.C. Road at Bhatersari Village of Budthal Panchayat, Zone-9, Jaipur	विचार विमर्श पश्चात जोन-9 क्षेत्र में भटेसरी ग्राम पंचायत बुड़तल के क्षतिग्रस्त सी.सी. रोड का पुनर्निर्माण कार्य की निविदा मैसर्स हरिओम कन्स0 कम्पनी के पक्ष में बीएसआर 2012 पर निविदा 18.95 प्रतिशत अधिक दर पर कुल राशि रूपये 35,16,896.00 की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
अन्य मुददे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
12.	187:12	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में बुकलेट व विज्ञप्ति अनुसार आवंटन के 2 वर्ष पश्चात् आवंटन स्वतः निरस्त होने की शर्त में अवधि की गणना में शिथिलन बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सीकर रोड, के भूखण्डो की निर्माण अवधि की गणना आवंटन पत्र के स्थान पर कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3 (212) नविवि/3/ 2011 दिनांक 13.09.2011 के अनुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	उपायुक्त जोन-13ए
13.	187:13	Strengthening and Renewal of Main 250 feet wide road from Kalwada village to Paldi Parsa in Zone-15, JDA, jaipur.	विचार विमर्श पश्चात जोन-15 में ग्राम कलवाडा से पालडी परसा तक मुख्य 250 फीट सडक का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य की निविदा मैसर्स राकेश अग्रवाल के पक्ष में न्यूनतम दर 3.15 प्रतिशत अधिक बीएसआर 2012 पर कुल राशि रूपये 8,31,80,317.00 की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
14.	187:14	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम,1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी के पद पर आज्ञा क्रमांक प7(5) जविप्रा/संस्था/86/ दिनांक 27.09.2013 के द्वारा आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आज्ञा दिनांक 27.09.2013 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन दिनांक 27.03.2014 से आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कर्मचारी अनुभव में छुट की पात्रता रखते है उनका प्रकरण अनुभव में छुट की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अस्थाई आधार पर तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर रिक्त पदो की नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति के माध्यम से पूर्ति की जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
15.	187:15	Bank Guarantee submitted by the bidders in JDA.	विचार विमर्श पश्चात बोलीदाताओं द्वारा जविप्रा में Bank Guarantee प्रस्तुत करने का एजेण्डा नोट में दिए गए प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।	निदेशक (वित्त)
16.	187:16	भूखण्ड संख्या जी-848, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	श्री बजरंग लाल पुत्र श्री लादुराम आवंटी भूखण्ड संख्या जी-848, गोविन्दपुरा आवासीय योजना के द्वारा भूखण्ड की नजराना राशि 1 वर्ष पश्चात व 2 वर्ष पूर्व की अवधि में जमा करायी गयी है। विचार विमर्श पश्चात विलम्ब अवधि की ब्याज एवं शास्ति जमा कराये जाने की शर्त पर भूखण्ड नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 17(5)(II) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावें।	उपायुक्त जोन-8
17.	187:17	भूखण्ड संख्या जी-847, जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा सांगानेर का पट्टा जारी करने बाबत।	श्रीमति भूला देवी पत्नी स्व. श्री रामप्रसाद आवंटी भूखण्ड संख्या जी-847, गोविन्दपुरा आवासीय योजना के द्वारा भूखण्ड की नजराना राशि 1 वर्ष पश्चात व 2 वर्ष पूर्व की अवधि में जमा करायी गयी है। विचार विमर्श पश्चात विलम्ब अवधि की ब्याज एवं शास्ति जमा कराये जाने की शर्त पर भूखण्ड नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 17(5) (II) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावें।	उपायुक्त जोन-8
18.	187:18	Construction of Roads in G.P. Tootoli in Zone-14, JDA Jaipur	विचार विमर्श पश्चात ग्राम पंचायत टूंटोली में सडक निर्माण कार्य के अनुमोदन उपरान्त निविदा को मैसर्स गोयल सावित्री इण्डस्ट्रीज की दर जी-शिडयूल पर 3.99 प्रतिशत अधिक पर रूपये 3,75,16,563.00 बिना शर्त अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
19.	187:19	Approval of tender and Ex-post facto approval to call negotiation for the work "Construction of road (up to GSB level) in PAP area of Ring Road Zone-14, JDA, Jaipur. (Package-9)	विचार विमर्श पश्चात राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में निविदा हेतु निर्धारित कमेटी की दर स्वीकृति अवधि समाप्त हो जाने के कारण सफल निविदादाता मैसर्स ब्रहमप्रकाश मोदी के पक्ष में निविदा के G-Schedule की राशि रूपये 3,92,58,617.15 पर 15.71 प्रतिशत अधिक दरों पर कुल राशि रूपये 4,54,26,145.90 की बिना किसी शर्त के निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई। न्यूनतम बोलीदाता मैसर्स ब्रहमप्रकाश मोदी से दरें कम करने हेतु किये गये Negotiation की भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
20.	187:20	Approval of tender and Ex-post facto approval to undertake negotiation for the work "Construction of road (up to GSB level) in PAP area of Ring Road Zone-14, JDA, Jaipur. (Package-11)	विचार विमर्श पश्चात राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में निविदा हेतु निर्धारित कमेटी की दर स्वीकृति अवधि समाप्त हो जाने के कारण सफल निविदादाता मैसर्स ब्रहमप्रकाश मोदी के पक्ष में निविदा के G-Schedule की राशि रूपये 3,17,70,767.55 पर 15.71 प्रतिशत अधिक दरों पर कुल राशि रूपये 3,67,61,955.13 के निविदा की बिना किसी शर्त के स्वीकृति प्रदान की गई। न्यूनतम बोलीदाता मैसर्स ब्रहमप्रकाश मोदी से दरें कम करने हेतु Negotiation प्राप्त करने की भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
21.	187:21	Approval of tender for the work "Construction of road (up to GSB level) in PAP area of Ring Road Zone-11, JDA, Jaipur. (Package-7)	विचार विमर्श पश्चात राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में निविदा हेतु निर्धारित कमेटी की दर स्वीकृति अवधि समाप्त हो जाने के कारण सफल निविदादाता मैसर्स ब्रहमप्रकाश मोदी के पक्ष में निविदा के G-Schedule की राशि रूपये 4,56,38,827.05 पर 17.77 प्रतिशत अधिक दरों पर कुल राशि रूपये 5,37,48,846.62 के निविदा की बिना किसी शर्त के स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
22.	187:22	Approval of tender and Ex-post facto approval to Call/undertake negotiation for the work "Construction of road (up to GSB level) in PAP area of Ring Road Zone-09, JDA, Jaipur. (Package-2)	विचार विमर्श पश्चात एकल सफल निविदादाता मैसर्स देवी कन्शट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में निविदा के G-Schedule की राशि रूपये 3,88,23,819.82 पर 17.00 प्रतिशत अधिक दरों पर कुल राशि रूपये 4,54,23,869.19 की बिना शर्त के निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई। न्यूनतम बोलीदाता मैसर्स देवी कन्शट्रक्शन कम्पनी से दरें कम करने हेतु किये गये Negotiation की भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)
23.	187:23	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आज्ञा क्रमांक प7(7) जविप्रा/संस्था/99/ पार्ट-II दिनांक 12.12.2013 के द्वारा आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आज्ञा दिनांक 12.12.2013 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन दिनांक 11.06.2014 से आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कर्मचारी अनुभव में छुट की पात्रता रखते है तो उनका प्रकरण अनुभव में छुट की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अस्थाई आधार पर तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर रिक्त पदो की नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति के माध्यम से पूर्ति की जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
24.	187:24	Regarding approval to procure tree-transplanting Machine in JDA through single source.	ट्री-ट्रासप्लान्टेशन मशीन एकल स्त्रोत से खरीदने बाबत विस्तृत विचार विमर्श किया गया। चूंकि यह मशीन (स्पेड व उपयुक्त ट्रक यूनिट) भारतीय कम्पनी द्वारा निर्मित नहीं होती है एवं गुजरात सरकार द्वारा प्रयुक्त मशीन व ट्रक सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अतः स्पेड यूनिट "बिग जोन" कम्पनी से एवं ट्रक मसर्डीज-बेंज कम्पनी से एकल स्त्रोत के तहत खरीदने की स्वीकृति	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			प्रदान की गई। साथ ही उपरोक्त मशीन व ट्रक खरीदने के लिए निम्न अधिकारियों की कमेटी गठित किए जाने का निर्णय लिया गया:- (1) वन संरक्षक (2) अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम (3) उपायुक्त (प्रशासन) (4) उप निदेशक (ई.एण्डबी) उपरोक्त समिति खरीद की कार्रवाई सक्षम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेकर कर सकेगी।	
25.	187:25	Agenda Note regarding approval of tender for the work of rate contract for construction of tube well, P/L/J of pipe line and construction of HP under JDA jurisdiction, Jaipur amounting to Rs. 157.15 Lacs.	विचार विमर्श पश्चात ट्यूबवैल निर्माण, पाईप लाईन सप्लाई व बिछाने का कार्य एवं हैण्डपम्प निर्माण हेतु दर संविदा टेण्डर के अनुमोदन की समय सीमा 120 दिन तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
26	187:26	राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रकरणों बाबत।	विचार विमर्श पश्चात आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण की और से एकल पट्टे/ भूखण्ड नियमितिकरण हेतु तथा नजराना राशि के देरी के समस्त प्रकरण जो राज्य सरकार को प्रेषित किये गये की विस्तृत सूचना अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) सभी जोनो से प्राप्त कर दिनांक 31.07.2014 तक आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगें।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 187वीं बैठक दिनांक 11.07.2014 को सांयकाल 04:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्रीमति लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री राजेश गुप्ता	सहायक अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री प्रताप मल केडिया	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन)	पुलिस मुख्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सर्किल इन्जिनियर	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
1.	श्री ललित शर्मा	अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
2.	श्रीमति नलिनी कठेतिया	अति. आयुक्त (भूमि) निदेशक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
3.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
4.	श्री एम.एल. चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
5.	श्री वी.एस. सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
6	श्री अरविन्द आर्य	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
7.	श्री बी.एल. जाटव	अधीक्षण अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
8.	श्री संजीव कुमार जैन	अधीक्षण अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
9.	श्री तरूण कुमार शर्मा	अधीक्षण अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियंता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री अजय राठोड	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री आर. के. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री मुकेश राणा	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री आर. के. माथुर	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री राजेन्द्र विजय	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री बीरबल सिंह शेखावत	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री धर्मपाल सिंह	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री असलम शेर खान	उपायुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्रीमती ऊषा जैन	सहायक निदेशक (जन-संपर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.187)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी- 834 दिनांकः 16/7/14

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी/भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर